भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2369

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कंटेनरों की कमी

2369. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः
श्री सी. एम. रमेशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास तथा लाल सागर में समुद्री डाकुओं के बीच अपने उत्पादों के निर्यात के लिए संघर्ष के मद्देनजर भारतीय निर्यातकों को निर्यात हेतु कंटेनरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास कंटेनरों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पोत परिवहन ग्रेड के कंटेनरों के विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंटेनरों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए कंटेनरों की उपलब्धता पर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): रूस और यूक्रेन, इजराइल एवं हमास तथा लाल सागर के समुद्री डाकुओं आदि के बीच संघर्ष के कारण निर्यात हेतु कंटेनरों की किसी भारी कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान में, शिपिंग कंटेनरों के विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है; हालांकि, भारत सरकार ने निर्यात के साथ-साथ घरेलू शिपमेंट के लिए कंटेनरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

किसी भी पोत पर कंटेनरों की उपलब्धता काफी हद तक वैश्विक आपूर्ति और मांग की स्थिति पर निर्भर करती है। हालांकि, इस संबंध में, संभावित कार्यकलापों हेतु शिपिंग लाइनों, पोतों/टर्मिनल ऑपरेटरों और निर्यात/आयात संघों के साथ नियमित वार्ता की जाती है।

इसके अलावा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर), जो भारत में प्रमुख घरेलू कंटेनर ऑपरेटरों में से एक है, ने भारतीय विनिर्माताओं से कंटेनरों की खरीद के लिए ऑर्डर दिए हैं।

निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और टर्नअराउंड समय में सुधार करने के लिए, निर्यात/आयात सर्किट में, कंटेनरों को पश्चभूमि में उनकी पूरी यात्रा के दौरान लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) नामक डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है।

*****